# समाहरणालय, खगड़िया।

## (स्वीप कोषांग) खगड़िया

पत्रांक 38 / दिनांक 22.09.2015

प्रेषक,

सदस्य–सह–सचिव,
मिडिया प्रमाणीकरण–सह–अनुवीक्षण समिति,
(MCMC) कोषांग, खगड़िया।

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव,
सभी राजनैतिक दल,
खगड़िया।

विषयः– इलैक्ट्रानिक चैनल / दूरदर्शन पर प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापनों के प्रचार–प्रसार के पूर्व एम0सी0एम0सी0 कोषांग द्वारा पूर्व प्रमाणीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या–509 / 75 / 2004 / जे0एस0–1 / 4572, दिनांक–15.04.2004 के आदेश के आलोक में प्रत्येक पंजीकृत / राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक पार्टी और निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को टेलीविजन चैनलों या केबुल नेटवर्क / रेडियो पर किसी भी तरह के विज्ञापन प्रसारण के पूर्व जिला स्तरीय एम0सी0एम0सी0 कोषांग के द्वारा विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है।

ऐसा नहीं करने पर प्रत्याशी के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा–127 के अन्तर्गत कार्रवाई होगी।

प्रत्येक पंजीकृत / राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक पार्टी और निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी यदि किसी मोबाईल प्रदाता कम्पनी के माध्यक से BULK SMS / VOICE SMS और VOICE RECORDING द्वारा प्रचार करते हैं, तो इसका भी उक्त कोषांग से पूर्व प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार सभी प्रत्याशियों के लिए किसी प्रकार के प्रचार सामग्री यथा पोस्टर, बैनर, पम्पलेट, हैंडविल, हैंडकार्ड, फलैक्स(बैनर), सी0डी0 / डी0भी0डी0 इत्यादि के द्वारा प्रचार–प्रसार करने के पूर्व एम0सी0एम0सी0 कोषांग में उक्त प्रचार सामग्री से संबंधित नमूना उपलब्ध कराना होगा। तत्पश्चात् जाँचोपरान्त अनुमोदन के पश्चात् ही सामग्री प्रकाशित या प्रसारित होगा। प्रकाशित सामग्री की संख्या उसपर हुए व्यय, मुद्रक के नाम की जानकारी देना होगा। यदि उपर्युक्त नियमों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो इसको आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा–127 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

अनुलग्नकः– विज्ञापन के प्रकाशन हेतु आवेदन की प्रति।

विश्वासभाजन

सदस्य–सह–सचिव, 22-9-15
मिडिया प्रमाणीकरण–सह–अनुवीक्षण समिति,
(MCMC) कोषांग, खगड़िया।